कार्यशाला की रिपोर्ट

केंद्रीय रेशम ऊत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर [प.बं.] में दिनांक 29.09.2021 को "कार्यलायीन कार्यों में राजभाषा हिन्दी का अनुप्रयोग" विषय पर एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य पदधारियों को राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी नियमों एवं प्रावधानों के सम्यक जानकारी प्रदान करना तथा हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में और भी गति लाने की दृष्टि से राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन हिन्दी शिक्षण, श्रुतलेखन, गूगल अनुवाद जैसे कतिपय उपकरणों आदि से पदधारियों को अवगत कराने के साथ ही उनमें हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना था । इस अवसर पर, श्रीमती मौसुमी घोष, हिन्दी प्राध्यापिका, केंद्रीय विद्यालय, बहरमपुर व्याख्याता के तौर पर उपस्थित थी। संस्थान के विभिन्न संवर्ग के कुल 13 पदधारीगण इस कार्यशाला मेँ प्रशिक्षित किए गए ।

कार्यशाला का शुभारंभ, संस्थान के सहायक निदेशक [राभा], श्री आर. बी. चौधरी के स्वागत अभिभाषण से हुआ । तत्पश्चात, संस्थान के निदेशक डॉ. किशोर कुमार, [सी॰एम॰] अपने संबोधन अभिभाषण में उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीमती मौसुमी घोष, हिन्दी प्राध्यापिका का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उपस्थित अधिकारी व पदधारियों को अपना-अपना सभी सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी मेँ निष्पादित करने की सलाह देते हुए यह विचार प्रकट किया गया कि फाइलों आदि मेँ प्रचलित शब्दों तथा सरल और सुबोध वाक्यों का ही अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए ताकि यह सहज, सुबोध होने के साथ ही आसानी से सभी के समझ मेँ आ सके । उनके द्वारा यह भी अपील किया गया कि सभी पदधारियों इस ज्ञानवर्धक और रोचक हिन्दी कार्यशाला का भरपूर लाभ उठाते हुए अपने दैनांदिन के सरकारी कामकाज अधिक से अधिक राजभाषा हिंदी में निष्पादित करने का हर संभाव प्रयास करें ताकि संस्थान मेँ हिंदी के कार्यों मे गति आने के साथ ही साथ राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों कि प्राप्ति तथा तत्संबंधी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन इस संस्थान मेँ सुनिश्चित हो सके ।

तदुपरांत, इस दौरान उपस्थित माननीया मुख्य अतिथि, श्रीमती मौसुमी घोष, हिन्दी प्राध्यापिका, केंद्रीय विद्यालय, बहरमपुर से कार्यशाला के संचालन व व्याख्यान हेतु सादर अनुरोध किया गया। श्रीमती घोष ने राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को और भी अधिक सुचारु तथा गतिशील बनाने और राजभाषा नीतियों के सुगम कार्यान्वयन हेतु विकसित विविध टूल्सों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही, उनके द्वारा इन उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य किस तरह सहजता पूर्वक किया जा सकता है पर सविस्तर चर्चा करते हुए इसके व्यावहारिक पहलुओं से सभी पदधारियों को अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित सभी पदधारियों को सरकारी कार्यों मेँ नित-प्रयोजनीय शब्दों और विभिन्न वाक्यों के सहज, सरल हिन्दी रूपांतरण और इसके प्रयोग संबंधी व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया ताकि सभी पदधारी अपने-अपने दैनिक सरकारी कामकाज के निपटान मेँ इसका सफलता पूर्वक उपयोग करने मेँ समर्थ हो सकें।
साथ ही, उन्होंने राजभाषा हिंदी के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, उपबंधों व इसके प्रचार-प्रसार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर उठाए जा रहे नित-नए प्रयासों की जानकारी सभी पदधारियों को दी तथा कार्यालय में हिंदी के अनुपालन संबंधी कठिनाईयों को दूर करने के सरल और सहज उपायों पर भी उनके द्वारा विशद रुप से प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त, राजभाषा हिंदी संबंधी अनुच्छेद 343 से 350 तक के अंतर्गत निहित नियमों तथा इसकी महत्ता व उपयोगिता के अलावे राजभाषा प्रावधानों व नियमों अर्थात् धारा 3(3), राजभाषा नियम-5 व नियम-11 आदि के अनुपालन और कार्यान्वयन पर भी चर्चा की गई।

सर्वशेष में सहायक निदेशक [राभा] के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की गई ।